न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 1624–तीन/2014 विरूध्द आदेश दिनांक 30–04–14 पारित तहसीलदार, बड़ा मलहरा, छतरपुर प्रकरण क0 14/अ6–अ/2012–13.

कामताप्रसाद पुत्र गोकुल प्रसाद पटेरिया,
निवासी ग्राम बंधा, तह0 बड़ा मलहरा,
जिला छतरपुर, म0प्र0 ——— आवेदक

विरूध्द

1– धमेन्द्रप्रकाश पुत्र सिध्द गोपाल
2– अवध बिहारी पुत्र सिध्द गोपाल
3– श्याम बिहारी पुत्र सिध्द गोपाल
4– रामनारायण पुत्र सिध्द गोपाल
5– रामप्यारी बेवा सिध्द गोपाल पटेरिया
समस्त निवासी ग्राम बंधा, तह0 बड़ा मलहरा,
जिला छतरपुर, म0प्र0 ——— अनावेदक

श्री एस0 के0 अवस्थी अभिभाषक – आवेदक
श्री पी0के0 तिवारी, अभिभाषक– अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 20 जुलाई, 2015 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत तहसीलदार, बड़ा मलहरा, छतरपुर के प्रकरण क0 14/अ6–अ/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 30–04–14 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक क0–1 धमेन्द्र प्रकाश व्दारा संहिता की धारा 115/16 के अन्तर्गत आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने ग्राम बंधा स्थित आराजी ख0नं. 1233 रकबा 0.482 हे0 आपसी बटवारे में प्राप्त होना तथा बी–1 वर्ष 2008–09 में

आवेदनकर्त्ता के नाम दर्ज होना अंकित किया। उक्त प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक कामताप्रसाद का नाम खसरा पंचसाला में त्रुटिवश अंकित होने से उसके सुधार किये जाने की मॉग की। तहसील न्यायालय में आवेदक कामताप्रसाद व्दारा आवेदन प्रस्तुत कर आपत्ति प्रस्तुत की कि वर्ष 1983–84 से 29 साल बाद रिकार्ड दुरूस्ती हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि धारा 116 के अन्तर्गत एक वर्ष के अन्दर ही आवेदनपत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। यह भी आपत्ति प्रस्तुत की गयी कि पूर्व में अवधबिहारी बगैरह बनाम कामताप्रसाद (प्र.क. 1/अ–6अ/83–84) प्रस्तुत किया था, इसलिये दुबारा आवेदनपत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 30–04–14 व्दारा आवेदक कामताप्रसाद की आपत्ति खारिज की। अतः आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदक ने 1983–84 में हुई त्रुटि को सुधार किये जाने हेतु वर्ष 2013 में आवेदनपत्र प्रस्तुत किया है जो अवधि बाह्य होने से प्रचलन योग्य नहीं है। संहिता की धारा 116 के आवेदनपत्र एक वर्ष की समयावधि में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। उनका तर्क है कि पूर्व में अवधबिहारी आदि व्दारा अभिलेख दुरूस्ती हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया था जो अदम पैरवी में वर्ष 1984 में ही खारिज हुआ, इसलिये यह नहीं माना जा सकता कि अनावेदक को खसरा प्रविष्टि की जानकारी नहीं थी। उनका यह भी तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में पूर्व में प्रकरण प्रचलित हो चुका है, इसलिये रेसजूडिकेटा के आधार पर आवेदनपत्र प्रचलन योग्य नहीं है। अन्त में उनका तर्क है कि संहिता की धारा 115/116 के अन्तर्गत नवीन प्रविष्टि नहीं की जा सकती। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदकगण के विव्दान अभिभाषक का तर्क है कि पूर्व में प्रस्तुत प्रकरण का निराकरण गुण–दोष पर नहीं किया गया, बल्कि प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हुआ है, इसलिये रेसजूडिकेटा लागू नहीं होता। इस संबंध में उन्होंने मेरा ध्यान जगदम्बा प्रसाद सोनी वि0 म0प्र0 राज्य तथा अन्य (2003:2: एम पी एल जे 584) की ओर से आकर्षित किया। उनका यह भी तर्क है कि बी–1 वर्ष 2008–09 में प्रश्नाधीन भूमि अनावेदकगण के नाम दर्ज है तथा खसरे में त्रुटि की जानकारी अनावेदक क0–1 को 05–10–12 एवं 10–10–12 को खसरे की नकलें प्राप्त होने पर हुई, इसलिये अनावेदक व्दारा प्रस्तुत आवेदनपत्र जानकारी से दिनांक से समयावधि में है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ तहसील न्यायालय में अनावेदक व्दारा खसरा पंचसाला वर्ष 1984–85 लगायत 1993–94, 1999–2000 लगायत 2011–12 की प्रमाणित प्रतिलिपियों की छाया प्रतियॉ प्रस्तुत की गयी है। इन खसरा पंचसालों में प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं0 1233 रकबा 0.482 हे0 कामताप्रसाद के नाम भूमिस्वामी स्वत्व में अंकित है। अनावेदक व्दारा एक भी खसरा पंचसाला ऐसा प्रस्तुत नहीं किया गया जिसमें अनावेदकगण का नाम दर्ज हों। अनावेदक व्दारा किश्तबन्दी खतौनी वर्ष 2008–09 बी–1 की वर्ष 2008–09 की प्रमाणित प्रतिलिपि की फोटो प्रति प्रस्तुत की गयी है। किश्तबन्दी खतौनी के अन्त में खसरा नं0 1233 रकबा 0.482 अंकित है। किश्तबन्दी खतौनी में ज्यादातर खसरे नम्बर बढ़ते कम में जैसे 459 के बाद 460, 461 आदि अंकित है, किन्तु प्रश्नाधीन भूमि ख0नं. 1233 ख0नं. 1426 के बाद सबसे अंत में अंकित किया गया है, जो बाद में किस सक्षम प्राधिकारी के आदेश के किश्तबन्दी खतौनी में अंकित हुआ, इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण ना तो तहसील न्यायालय में प्रस्तुत आवेदनपत्र में ही अंकित है और ना ही इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अनावेदक अभिभाषक व्दारा इस तथ्य से भी इन्कार नहीं किया गया है कि पूर्व में इसी प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में अभिलेख सुधार हेतु आवेदनपत्र अनावेदक

की ओर से प्रस्तुत हुआ था, किन्तु यह आवेदनपत्र अदम पैरवी में खारिज होने से उन्होंने प्रकरण में रेसजूडिकेटा लागू नहीं होना बताया है, किन्तु इससे अनावेदकों को अभिलेख में त्रुटि की जानकारी तत्समय से होना स्पष्ट है। संहिता की धारा 116 के अन्तर्गत प्रविष्टि सुधार हेतु आवेदनपत्र ऐसी प्रविष्टी के एक वर्ष के भीतर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। 1984–85 से खसरा पंचसाला में लगातार चली आ रही प्रविष्टियों को सुधार हेतु अनावेदक क0–1 व्दारा आवेदनपत्र तहसीलदार के समक्ष दिनांक 01–01–13 को प्रस्तुत किया है जो स्पष्टतया समयावधि बाह्य होने से प्रचलन योग्य नहीं है। यहॉ पर यह भी उल्लेखनीय है कि संहिता की धारा 115 के अन्तर्गत तहसीलदार व्दारा स्वमेव गलत प्रविष्टि का सुधार किया जा सकता है तथा धारा 116 के अन्तर्गत प्रविष्टि के दिनांक से एक वर्ष के भीतर उसके शुध्दिकरण के लिये तहसीलदार को आवेदन दिया जा सकता है अर्थात संहिता की धारा 115 एवं 116 के अन्तर्गत गलत प्रविष्टि का सुधार किया जा सकता है और कोई नवीन प्रविष्टि करने के आदेश धारा 115/116 के अन्तर्गत नहीं दिये जा सकते। चंदनसिंह विरूध्द कृपालसिंह (2006 रा.नि. 104) में राजस्व मण्डल व्दारा यह व्यवस्था दी गयी है कि –

"धारा 121, 115 तथा 116– नि. 7 तथा 8 (धारा 121 के अधीन)– नियमों में खसरा तैयार करने के लिये निर्देश और प्रकिया का उपबन्ध है– नियमों के अधीन कोई मामला विनिश्चित नहीं किया जा सकता– किसी भी धारा 115, 116 तथा 121 के अधीन कब्जा अभिलिखित नहीं किया जा सकता– कब्जा अभिलिखित करने के लिये धारा 121 के अधीन तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन फाइल नहीं किया जा सकता।

धारा 116– न तो नया अधिकार सिध्द किया जा सकता है और न नयी प्रविष्टि की जा सकती है।"

रामस्वरूप वि. कलावती तथा अन्य (2007 रा.नि. 199) में भी राजस्व मण्डल व्दारा यह व्यवस्था दी है कि –

"धारा 115,116 तथा 32– अधिकार अभिलेख में किसी का कब्जा अभिलिखित करने के लिए अधिकारिता नहीं– धारा 116 के अधीन एक वर्ष के भीतर अधिकार–अभिलेख में गलतियॉ ठीक की जा सकती है– धारा 115 तहसीलदार को कार्यवाही करने के लिये सशक्त करती है– धारा 32 का उपबन्ध वहॉ लागू होता है जहॉ संहिता में कोई अन्य उपबन्ध नहीं है।

धारा 121, नि. 6 से 11– कब्जा अभिलिखित करने की शक्ति– उपबन्धों के अधीन तहसीलदारों को उपलब्ध नहीं।"

ग्वालियर एग्रीकल्चरल कं. लि. डबरा वि. छोटेलाल तथा अन्य (1994 रा.नि. 411) में भी राजस्व मण्डल व्दारा यह निर्धारित किया है कि धारा 115 तथा 116 के अधीन पूर्व में विद्यमान प्रविष्टि शुद्ध की जा सकती है, नई प्रविष्टि नहीं की जा सकती। तहसीलदार व्दारा कब्जा प्रविष्टि का आदेश अधिकारिता रहित है।

ऐसी दशा में अनावेदक क0–1 व्दारा तहसील न्यायालय में प्रस्तुत आवेदनपत्र प्रचलन योग्य नहीं होने से तहसीलदार व्दारा आवेदक की आपत्ति खारिज करने में गलती की है। अनावेदकों को प्रश्नाधीन भूमि पर आपसी बटवारे के आधार पर कोई स्वत्व प्राप्त हैं तो सिविल न्यायालय से घोषित कराना चाहिये।

6/ उक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। तहसीलदार का आदेश दिनांक 30–04–2014 निरस्त किया जाता है। अनावेदक क0–1 व्दारा तहसील न्यायालय में प्रस्तुत आवेदनपत्र प्रचलन योग्य नहीं होने से समाप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर,